

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मिनाय जिला-केकड़ी(राज0)

प्रकरण संख्या- /2024

बनाम

अन्तर्गत धारा:-

हुकम या कार्यवाही इनिशियल्य जज

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्य जज
<p>नवीन शर्पणा पर उत्सुत करने के आदेश को सुरक्षित रखते इस शर्पणा पर विद्वा काना</p>	<p>21/11/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील शर्पणा शहूल आचामी इप। वकील शर्पणा नवीन शर्पणा पत्र पेश करने के मामले अधिकारी को सुरक्षित रखते हैं, शर्पणा पत्र विद्वा करने आबल निवेदन किया गया। वकील शर्पणा को खना गया। वकील शर्पणा वकील शर्पणा नवीन शर्पणा पत्र पेश करने के शर्पणा को अधिकारी को सुरक्षित रखते हैं शर्पणा पत्र विद्वा किया गया। वकील शर्पणा पत्रावली पर आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर आगे कोई कार्यवाही अमेक्षित नहीं जाती है। अतः वकील शर्पणा के मौखिक कथनों तथा शर्पणा पत्र आदेशिका पर अंकित कथनों से स्वीकार किया जाकर नवीन शर्पणा पत्र पेश करने के शर्पणा को अधिकारी को सुरक्षित रखते हैं, शर्पणा पत्र पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फंसल शुमार है। नम्बर से कम होकर दायिल दफ्तर है।</p>

SD BHANA